

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

26 JUN 2018

क्रमांक प.2(8)न्याय/2018

जयपुर, दिनांक

-:अधिसूचना:-

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 388 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, राजस्थान राज्य में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उत्पन्न विवादों/प्रकरणों के संबंध में कॉलम संख्या 4 में अंकित क्षेत्राधिकार के लिए अधिकारिता वाला न्यायालय विनिर्दिष्ट करती है:-

क. सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, ब्यावर	ब्यावर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
2	अपर जिला न्यायालय संख्या 3, ब्यावर	ब्यावर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
3	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, किशनगढ़	किशनगढ़	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
4	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, केकडी	केकडी	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
5	अपर जिला न्यायालय, मुण्डावर	मुण्डावर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
6	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, तिजारा	तिजारा	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
7	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, बहरोड़	बहरोड़	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
8	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, बाड़मेर	बाड़मेर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
9	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, निम्बाहेडा	निम्बाहेडा	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण

10	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, राजगढ़	राजगढ़, चुरु	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
11	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, बांदीकुई	बांदीकुई	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
12	अपर जिला न्यायालय, सागवाड़ा	सागवाड़ा	स्थानीय क्षेत्राधिकार
13	अपर जिला न्यायालय, घड़साना	घड़साना	स्थानीय क्षेत्राधिकार
14	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, नोहर	नोहर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
15	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, कोटपूतली	कोटपूतली	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
16	अपर जिला न्यायालय संख्या 3, कोटपूतली	कोटपूतली	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
17	अपर जिला न्यायालय संख्या 2, सांभरलेक	सांभरलेक	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
18	अपर जिला न्यायालय, दूढ़	दूढ़	स्थानीय क्षेत्राधिकार
19	अपर जिला न्यायालय, पोकरण	पोकरण	स्थानीय क्षेत्राधिकार
20	अपर जिला न्यायालय, भवानीमण्डी	भवानीमण्डी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
21	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2, हिण्डौनसिटी	हिण्डौनसिटी	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
22	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2, नागौर	नागौर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
23	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2, परबतसर	परबतसर	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण
24	अपर जिला न्यायालय, सुमेरपुर	सुमेरपुर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
25	अपर जिला न्यायालय, संख्या 2, आबूरोड़	आबूरोड़	समय-समय पर सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण


राज्यपाल के आदेश से,

[Handwritten Signature]
26/6/18

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. संबंधित जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक।
9. संबंधित न्यायाधीश, अपर जिला न्यायालय।
10. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी सहित)
14. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


26.6.18
संयुक्त शासन सचिव